कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना खीवसर जिला नागौर राज.

क्रमांक :—   दिनांक :—

सेवामे,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय
सीआईडी सीबी सेल जयपुर

विषय :— मुकदमा नम्बर 212 दिनांक 23.08.2020 धारा 302, 201 आईपीसी पुलिस थाना खींवसर की तथ्यात्मक रिपोर्ट।

प्रसंग :— श्रीमान के टेलिफोन वार्ता दिनांक 07.10.2020 की पालना मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि थाना हाजा मुकदमा नम्बर 212 दिनांक 23.08.2020 धारा 302, 201 आईपीसी पुलिस थाना खींवसर जिला नागौर की तथ्यात्मक रिपोर्ट बिन्दुवार निम्न है:—

1- iFke lpuk fjiksVZ dk [kykl :— प्रार्थी श्री जगदीश पुत्र चंदाराम जाति जाट निवासी सुखाणियों की ढाणी पापासनी ने रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 20.8.2020 को मेरा छोटा भाई मनोहरलाल रात्रि में खाना खाकर सोया था, जो दिनांक 21.8.2020 को सुबह ढाणी पर नहीं मिला जिस पर उसकी इधर उधर तलाश की गई कोई सूचना नहीं मिलने पर दिनांक 21.8.2020 को खींवसर पर गुमसुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। दिनांक 23.8.2020 को सुबह सुचना मिली कि एक लाश पांचला ईश्वरनाडा रोड पर सिंगल नाडी ताल में पड़ी है। इस पर मैं, मेरे काका साजनराम, खेताराम व कानाराम मौके पर आये। मेरे छोटे भाई मनोहरलाल की लाश सिंगल नाडी से पांचला की ओर जाने वाली सड़क पर 500 मीटर करीब सड़क के किनारे पड़ी थी। मेरे भाई मनोहरलाल की हत्या अज्ञात लोगो ने करके सबूत नष्ट करने के ईरादे से रोड़ पर फेंक दिया। वगैरा रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 212/2020 धारा 302, 201 आईपीसी पुलिस थाना खींवसर पर पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान श्री बृजेन्द्रसिंह नि.पु. पुलिस थाना खींवसर द्वारा शुरु किया गया।

2- iFke lpuk fjiksVZ esa ukes tn eqyfteku dk fooj.k :—

क0सं0	नाम मुलजिम	जुर्म प्रमाणित है या नही।	जम मुलजिम गिरफ्तार हुआ हया नही मय गिरफ्तारी की दिनांक	जम मुलजिम न्यायिक अभिरक्षा में या जमानत पर	जम यदि मुलजिम न्यायिक अभिरक्षा में है तो चालान पेश करने की सीमा
1	अज्ञात मुलजिमान	हां	नहीं	—	—

3. ,sls eqfYte ftuds uke iFke lpuk fjiksVZ esa ugha Fks exj ckn esa vuqla/kku ls tksMs x;s&

क.सं	नाम मुल्जिम	जुर्म प्रमाणित है या नहीं मय धारा	मुल्जिम गिरफतार हुआ या नहीं मय गिरफतारी दिनांक	मुल्जिम न्यायिक अभिरक्षा में है या जमानत पर
1.	—	—	—	—

4. iFke lpuk fjiksVZ esa ukes tn eqfYteksa ds fo:} ;fn pkyku iLrkfor ugha gks rks iR;sd ds lca/k esa dkj.k lfgr fVIi.kh :— नहीं

5. eqfYteksa ds fo:} tqeZ /kkjk gVkus o tksMus ds lca/k esa fdl vf/kdkjh ls Lohd`fr dc izkIr dh xbZ bl ckcr lEiw.kZ [kykl :— नहीं

6. izdj.k esa vuqla/kku vf/kdkfj;ksa dk fooj.k :—

क.	नाम अनुसंधान	कब से कब	अनुसंधान अधिकारी द्वारा माने	अनुसंधान अधिकारी

सं.	अधिकारी	तक	गये मुल्जिमो के नाम	द्वारा साबित जुर्म धारा
1	श्री बृजेन्द्रसिह नि पु थानाधिकारी पुलिस थाना खीवसर	दिनांक 23.08. 2020 से दिनांक 18.09.2020 तक	–	–
2	श्री विनोद कुमार सीपा आर पी एस वृताधिकारी वृत नागौर	दिनांक 18.09. 2020 से दिनांक 21.09.2020 तक	–	–
3	सीआईडी सीबी कार्यालय जयपुर	दिनांक 22.09. 2020 से लगातार	–	–

7- pkyku ;kX; iLrkfor leLr efYtekuk dk iw.kZ vkijkf/kd fjdkMZ ¼&

क.सं.	नाम मुल्जिम	प्रकरण संख्या मय दिनांक धारा एवं नाम थाना	नतीजा पुलिस	नतीजा कोर्ट
1.	–	–	–	–

8- ;fn izdj.k dk vuqla/kku vf/kdkjh vkj }kjk cnyk x;k gks rks mldk fooj.k :–

कसं.	प्रकरण का अनुसंधान स्थानान्तरण करने से पूर्व अनुसंधान अधिकारी का नाम मय पद	प्रकरण का अनुसंधान स्थानान्तरण परिवाद (नाम पता सहित) पर किया गया या स्वप्रेरणा से इस बाबत् सम्पूर्ण खुलासा	प्रकरण का अनुसंधान किसके आदेश से बदला गया है।	नाम अनुसंधान अधिकारी (संबंधित वृत्त या वृत्त से बाहर) मय आदेश कमांक दिनांक	नये अनुसंधान अधिकारी को दिया गया समय।	नये अनुसंधान अधिकारी का निष्कर्ष
1.	–	–	–	–	–	–

9. ;fn izdj.k dk vuqla/kku iwoZ esa jkT; vijk/k 'kk[kk vFkok ,lvksth }kjk fd;k x;k gks rks mldk fooj.k%– नही

क.सं.	राज्य अपराध शाखा अथवा एसओजी के आदेश क्रमांक मय दिनांक	राज्य अपराध शाखा/ एसओजी के अनुसंधान अधिकारी का नाम	राज्य अपराध शाखा/ एस. ओ.जी. द्वारा लिया गया निर्णय
1.	–	–	–

10. ;fn vuqla/kku LFkkukUrj.k izdj.k ds dkSl esa vU; dksbZ izdj.k gks rks mldk Hkh [kqyklk %& नहीं है।

11- vc rd vuqla/kku vf/kdkfj;ksa }kjk fd;s x;s vuqla/kku dk lEiw.kZ [kqyklk :–
दौराने अनुसंधान थानाधिकारी, पुलिस थाना खींवसर द्वारा मृतक मनोहरलाल की लाश का फर्द सूरतहाल, पंचनामा मुर्तिब कर मेडीकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की गई। घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका व हालात मौका मुर्तिब किया गया। मृतक के पारचेजात जब्त किये गये। प्रार्थी श्री जगदीश, गवाह साजन राम, भोमाराम व पन्नाराम के बयान लिये गये। प्रकरण में मृतक मनोहरलाल व अन्य संदिग्धों के मोबाईल नम्बरों की कॉल डिटेल प्राप्त कर विश्लेषण किया गया, कॉल डिटेल के आधार पर संदिग्ध श्रीमती जमना पत्नी राजीव चौधरी, राजीव चौधरी पुत्र भगवानाराम, बीरमाराम, सुनील वगैरा से पूछताछ कर पूछताछ नोट मुर्तिब किये गये।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला नागौर के आदेश क्रमांक 34103–09 दिनांक 23.8. 2020 के द्वारा अति. पुलिस अधीक्षक, नागौर के सुपरविजन व वृत्ताधिकारी पुलिस, वृत नागौर के नेतृत्व में अज्ञात आरोपिगण की दस्तयाबी हेतु एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा मृतक मनोहरलाल की ढाणी व आस पास की ढाणीयों में गोपनीय रुप से पूछताछ की जाकर अज्ञात मुलजिमानों की पतारसी के प्रयास किये गये। श्रीमति जमना के मोबाईल नम्बर 8278625322

व मृतक मनोहर लाल के मोबाईल नम्बर 6375203594 की विस्तृत कॉल डिटेल एवं जीपीआरएस कॉल डिटेल का विश्लेषण साईबर एक्सपर्ट से करवाया गया।

कॉल डिटेल विश्लेषण के अनुसार श्रीमती जमना के मोबाईल नं0 8278625322 की दिनांक 01.08.20 से 23.08.2020 तक सामान्य कॉल डिटेल व इन्टरनेट कॉल डिटेल का विश्लेषण करने से पाया गया कि जमना सुबह उठते ही मोबाईल में नेट चालू करती है तथा रात्रि में लास्ट सामान्य कॉल के कुछ समय पश्चात ही नेट भी बंद कर देती है। जबकि घटना की रात्रि दिनांक 21.08.2020 को जमना की लास्ट कॉल 00:06 पर मनोहर से हुई है इसके बाद 01:40 तक जमना के मोबाईल में नेट चालु रहा है, इससे पहले कभी भी जमना के लास्ट सामान्य कॉल के बाद इतनी देर तक मोबाईल में नेट चालू रहने की लोकेशन नही आई है। मृतक मनोहर की बॉडी मिलने की दिनांक 23. 08.2020 को जमना के मोबाईल में 04:02 एएम पर नेट चालु हो जाता है जबकि 01.08.2020 से 23. 08.2020 तक जमना के मोबाईल न0 8278625322 पर सुबह 04:00 बजे के आस पास कभी भी नेट चालु नही हुआ है। दिनांक 01.08.2020 से 23.08.2020 तक की अवधि में सुबह जमना के मोबाईल में नेट चालु होने का समय 07:00 के आस पास ही है।

इसी प्रकार मृतक मनोहर लाल के मोबाईल नम्बर 6375203594 से श्रीमती जमना के मोबाईल नम्बर 8278625322 पर दिनांक 01.01.2020 से 21.08.2020 तक की अवधि में 207 बार वार्ता हुई है जो कि श्रीमती जमना के मोबाईल नम्बर 8278625322 की सर्वाधिक मैक्स बी पार्टी है। दिनांक 20. 08.2020 को रात्रि 10.32 पीएम से दिनांक 21.08.2020 समय 12.08 ए.एम. तक कुल चार बार बात हुई है जिसमें वक्त 10.37.13 पर 4480 सैकण्ड वार्ता हुई है तथा 11.54.35 पर 495 सैकण्ड वार्ता हुई है आखरी वार्ता 12.06.30 एएम से शुरू होकर 117 सैकण्ड वार्ता हुई है, जिसके बाद मृतक मनोहर लाल का मोबाईल इन्टरनेट कॉल डिटेल के अनुसार 00.15.46 बजे बन्द हो जाता है, यहां यह स्पष्ट हो जाता है कि मृतक मनोहर लाल फोन बन्द होने तक श्रीमती जमना के सम्पर्क में था। इस अवधि में मृतक मनोहर लाल अपने परिवार में चेतनराम के घर पर हुवे रातीजोगा से अपने घर पर आने के पश्चात श्रीमती जमना से मोबाईल द्वारा आखरी सम्पर्क होने तक किसी अन्य व्यक्ति के सम्पर्क में नहीं रहा इससे स्पष्ट है कि मृतक मनोहर के साथ हुवे घटनाक्रम के बारे में जमना को पूर्ण जानकारी है। श्रीमती जमना द्वारा प्रारम्भिक पूछताछ में बताया गया था कि उसकी मनोहर से रात्रि 7–8 बजे के बाद कोई बात नहीं हुई थी तथा मृतक व जमना के मोबाईल नम्बरों की कॉल डिटेल प्राप्त होने के पश्चात पूछताछ की जाने पर रात्रि 12 बजे से लेकर 01 बजे तक बात करना बताया है। श्रीमती जमना द्वारा मृतक मनोहर से लम्बे समय से अवैध सबंध होने की बात भी स्वीकार की गई है। श्रीमती जमना का मोबाईल चैक करने पर श्रीमती जमना के पास एन्ड्रोयड फोन जिसमें इन्टरनेट चलता है जिसमें कॉल हिस्ट्री डिलिट की हुई थी जो जमना ने स्वयं द्वारा डिलीट करना बताया। उपरोक्त विश्लेषण से श्रीमती जमना की संलिप्तता प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होना माना।

तत्पश्चात परिवादी श्री जगदीश द्वारा परिवाद पेश करने पर इस कार्यालय के पत्रांक 39242–45 दिनांक 18.9.2020 के द्वारा प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान वृत्ताधिकारी पुलिस, वृत्त नागौर के जिम्में किया गया। प्रकरण में मृतक मनोहरलाल की मां के शोकाकुल होने से अब तक कथन लेखबद्ध नहीं किये गये है, आईन्दा मृतक की मां के कथन लेखबद्ध किये जायेंगे तथा पत्रावली पर उपलब्ध श्रीमति जमना व उसके पति राजीव चौधरी के विरोधाभाषी कथनों एवं पूर्व में मनोहर के साथ राजीव चौधरी वगैरा द्वारा की गई मारपीट व पूर्व रंजिश के बारे में राजीव चौधरी से गहनता से अनुसंधान किया जायेगा, अन्य बीरमाराम, सुनील की संलिप्तता के बारे में भी ओर गहनता से अनुसंधान किया जायेगा। परिवाद द्वारा केशाराम, नानकराम जिसमें आरोप लगाया है कि इस मामले में जोधपुर जिले की महिला विधायक तथा एक सांसद द्वारा जांच को प्रभावित किया जा रहा है, घटना में महिला विधायक के पीए व उसके शिक्षा अधिकारी भाई के शामिल होने पर संदेह जताया। अतः इस संबंध में प्रदीप हुड्डा व उसके भाई वगैरा की संलिप्तता के बारे में भी गहनता से अनुसंधान किया जायेगा।

12. vc rd fd;s x;s vuqla/kku ckcr iqfyl v/kh{kd dh Li"V fVIi.kh%&

भवदीय

थानाधिकारी
पुलिस थाना खीवसर